छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
:मंत्रालयः
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 6–183/2024/ मबावि/50 नवा रायपुर, दिनांक 25/04/2025

प्रति,

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
विभाग .....(छ.ग.)

विषयः– **महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन के संबंध में।**

संदर्भः– Status Report On Behalf of the Amicus Curiae With Regard to Compliance of the Order Dated 03-12-2024 Passed by this Hon'ble Court. **के संबंध में ई–मेल दिनांक 22.04.2025।**

–:–

अंकिता शर्मा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, स्टेण्डिंग कॉउसिंल, छत्तीसगढ़ राज्य का ई–मेल दिनांक 22.04.2025 के अनुसार ऑरेलियानो फर्नान्डिस बनाम गोवा राज्य एवं अन्य के मामले को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर पिटीशन क्र0 1244/2017 के निर्देश दिनांक 03.12.2024 के परिपालन में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रावधानों का राज्य में क्रियान्वयन के संबंध में पालन प्रतिवेदन न्यायालय में जमा किया जाना है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 अंतर्गत परिभाषित कार्यस्थल जो –

" कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्यम, संस्थान, कार्यालय, शाखा अथवा इकाई जो प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/सरकारी कम्पनी/निगम/सहकारी सोसाइटी द्वारा प्रदत्त निधियों द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन अथवा वित्त पोषित हो। 2. निजी क्षेत्र का संगठन, उपक्रम, उद्यम, संस्थान, प्रतिष्ठान, सोसाइटी, न्यास, गैर–शासकीय संगठन, इकाई अथवा सेवा प्रदाता जो वाणिज्यिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजन, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवायें अथवा वित्तीय क्रियाकलाप कर रहा हो जिसमें उत्पादन, आपूर्ति, विक्रय, वितरण, अस्पताल अथवा नर्सिंग होम, खेलकूद का संस्थान, स्टेडियम, खेल परिसर, प्रतियोगिता अथवा खेल का स्थान आदि निजी क्षेत्र जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना है। साथ ही इसके अतिरिक्त उन सभी उद्यमों (छोटे बड़े सभी उद्यम/उद्योग विभाग से पंजीकृत होते हैं) एवं जहां 10 से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं वहां अधिनियम के धारा 04 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति गठित किया जाना है। आंतरिक शिकायत समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे –

1. पीठासीन अधिकारी जो कार्यस्थल के कर्मचारियों में से वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी होगी। यदि वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी न हो तब उसी नियोक्ता अथवा अन्य विभाग अथवा संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल से पीठासीन अधिकारी नाम निर्देशित की जायेगी।

.....2

2. कर्मचारियों में से महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध अथवा सामाजिक कार्य में अनुभव वाले कम से कम 02 सदस्य।
3. गैर शासकीय संगठन/संघ से 01 सदस्य जो महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध हो।

नाम निर्देशित कुल सदस्यों में आधी महिलाएं होंगी तथा समिति के पीठासीन अधिकारी एवं प्रत्येक सदस्य नामांकन की तारीख से 03 वर्ष तक की अवधि के लिए पदधारित करेंगे।

POSH अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन का आदेश जारी करने की जिम्मेदारी प्रत्येक कार्यस्थल के नियोक्ता की है, किन्तु यदि वह आंतरिक शिकायत समिति गठन करने में विफल होता है तो अधिनियम की धारा–26 के अनुसार संबंधित कार्यालय को 50,000/– रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

उपरोक्त विभागांतर्गत राज्य/जिला/विकासखण्ड/नगर निगम/नगर पालिका स्तर के कार्यालयों की संख्या एवं इनके विरूद्ध कितनी समितियां गठित की गई है (आदेश प्रति संलग्न करें) की जानकारी 01.05.2025 तक सचिव, महिला एवं बाल विकास को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

चूंकि माननीय न्यायालय में प्रकरण की अगली सुनवाई 14.05.2025 को है और राज्य की ओर से अतिरिक्त एफिडेविट 09.05.2025 के पूर्व जमा किया जाना है। अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निर्धारित समय सीमा में पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जा सके।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(अमिताभ जैन)
मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

S. No.	District	No. Of Offices/Organisations in the district	No. Of Offices/Organisations where there are 10 and above employees working	Out of Column No 4 , in how many Offices/Organisations ICCs are formed	Out of Column No. 4, in how many Offices/Organisations ICCs are not formed
1	2	3	4	5	6

Signature